F. No: II-18015/06/2014-NM.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Naxal Management Division)

North Block, New Delhi Dated the 13th January, 2014

(Rambir Singh) Director (NM) & CPIO

To,

Shri G. Panigrahi. Sharda Energy and Minerals Limited, J.M.G. House, Panchsheel Nagar, Civil Lines, Raipur- 492001, Chhattisgarh.

Sub: Information sought under the RTI Act, 2005 vide your application dated 23.12.2013.

Please refer to your application dated 23.12.2013 received in this Division on 07.01.2014 vide NDM-I Section, MHA O.M. No 40-14/2013/NDM-I(Part) dated 06.01.2014 regarding the information sought under the RTI Act, 2005.

- 2. Available information on point nos. (1), (2) & (3) of the above said application is furnished as under:-
 - 2.1 Based on violence profile and various parameters, presently 16 district of Chhattisgarh viz. Bastar, Bijapur, Dantewada, Jashpur, Kanker, Korea (Baikunthpur), Narayanpur, Rajnandgaon, Sarguja, Dhamtari, Mahasamund, Gariyaband Balod, Sukma, Kondagaon and Balrampur are considered as Naxal affected Districts. The whole Narayanpur district of Chhattisgarh is considered Naxal affected District w.e.f. 29.5.2008.
 - 2.2 An analysis of LWE violence profile of previous years disclose that Narayanpur district of Chhattisgarh is one of the severely Left Wing Extremism (LWE) affected districts, which collectively account for more than 70% of the total LWE violence in the Country.
- 3. Appeal u/s 19(1) of the Act, if any, is to be made within 30 days of receipt of this communication and the same in respect of this information lies with Shri M.A. Ganapathy, Joint Secretary, Naxal Management Division, Room No. 193-A/1, North Block, New Delhi 110 001.

Copy to:

 Shri Gautam Ghosh, DS (NDM-I) & CPIO, MHA, NDCC Building, Jai Singh Road w.r.t letter No.40-14/2013/NDM-I(Part) dated 06.01.2014.

PIS Justed





सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र

दिनांक: 23.12.2013


प्रति:

केन्द्रीय जन सूचना प्राधिकारी, गृह मंत्रालय,

भारत सरकार.

केन्द्रीय सचिवालय,

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001



विषय : सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र ।

महोदय.

अधिनियम के तहत आवेदक कंपनी को निम्नानुसार जानकारी / सत्यापित दस्तावेज प्रदान किये जावें।

- 1. देश में नक्सल हिंसा से ग्रस्त घोषित प्रदेशों में से एक छतीसगढ़ प्रदेश / राज्य में नक्सली समस्या के अन्तर्गत विगत 10 वर्षों से केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित एवं घोषित अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं आंशिक रूप से संवेदनशील जिले कौन कौन से हैं । इन जिलों के नामों की जानकारी आवेदक को प्रदान की जावें ।
- 2. कंडिका 1 के संबंध में प्रादान की जा रही जानकारियों में यदि जिला नारायणपुर भी शामिल हो तो केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस जिले नारायणप्र की कौन कौन सी तहसीलें नक्सल समस्या से प्रभावित मानी जाकर अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं आंशिक रूप से चिन्हित एवं घोषित किया गया है, केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसकी भी जानकारी आवेदक को प्रदान की जावें ।
- कंडिका 2 के में वर्णित जिला नारायणपुर वनमंडल के अन्तर्गत ग्राम -करचामेटा, मदमनार-तारामेटा, वारगांव एवं पण्डरीपानी क्षेत्र को कंडिका 1 एवं 2 में अपेक्षित जानकारियों की किस श्रेणी केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित एवं घोषित किया गया है इसकी भी जानकारी आवेदक को प्रदान की जावें।

आवेदक कंपनी को उपरोक्त चाही गई जानकारी निम्नलिखित पते पर प्रदान करने का कष्ट करें ।

सधन्यवाद । Dry (2my)

आवेदक्र जिल्लावार्याः जिल्लास्य सारडा एनर्जी एंड मिनत्स लिम्टिड, जे.एम.जी हाउस, पंचेशील नगर, सिविल लाईन्स, रायपुरं (छ.ग.)

पिन - 492001.

संलग्न : आवेदन शुल्क रु. 10/- भारतीय पोस्टल आर्डर (197 4342 75 रीजी अपूर्ण 13)